

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीतासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
26.10.2023

भिसल नम्बर  
76/2023/प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा  
17.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री कल्याण मल शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा निवासी ग्रा. प्र. राजपुरा तह. मालपुरा जिला टोंक विक्रेता/प्रबंधक मैसर्स परताणी इण्डस्ट्रीज जी-33-34 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया मालपुरा जिला टोंक
  - 2-श्री रामबाबू परताणी पुत्र श्री श्याम सुन्दर परताणी प्रोपरायटर मैसर्स परताणी इण्डस्ट्रीज जी-33-34 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया मालपुरा जिला टोंक
  - 3-मैसर्स परताणी इण्डस्ट्रीज जी-33-34 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया मालपुरा जिला टोंक
- .....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 26.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.02.2023 को समय 03:30 पीएम पर मैसर्स परताणी इण्डस्ट्रीज जी-33-34 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री कल्याण मल शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कल्याण मल शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्री रामबाबू परताणी को प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में गोदाम में 2-2 लीटर पैक व 5-5 लीटर पैक के लगभग 50 मूल पैक पैकड अवस्था में रिफाईंड सोयाबीन तेल (सोया गोल्ड ब्रान्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कल्याण मल शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री कल्याण मल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

सूचना सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह रिफाइंड सोयाबीन तेल (सोया गोल्ड ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 02 एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2022 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, कुल 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रिफाइंड सोयाबीन तेल (सोया गोल्ड ब्राण्ड) कुल 1600 ग्राम को प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में अलग-अलग प्रत्येक में 400-400 ग्राम भरकर ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3453, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3453 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री कल्याण मल शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/507 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /291/एक्ट/2023/360 दिनांक 16.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया रिफाइंड सोयाबीन तेल (सोया गोल्ड ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री कल्याण मल शर्मा स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर आवश्यक जानकारियाँ अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का



न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाइंड सोयाबीन तेल (सोया गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइंड सोयाबीन तेल (सोया गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)  
न्याय निणयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टॉक-राज0